कांग्रेस बैकफुट पर, संगठन की खुली कलई

अविश्वास से विश्वास तक का यू-टर्न, शहर अध्यक्ष की पकड़ पर सवाल, आम आदमी पार्टी की भी फजीहत

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 जनवरी. नगर पालिक निगम सिंगरौली की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है.

कांग्रेस पार्टी के आधा दर्जन पार्षदों द्वारा ऐन वक्त पर पलटी मारने से न सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव हवा हो गया, बल्कि कांग्रेस के साथ-साथ आम आदमी पार्टी और बसपा की रणनीति भी बिखरती नजर आई. यह घटनाक्रम कांग्रेस संगठन को सीधे तौर पर बैकफुट पर धकेलने वाला माना जा रहा है. दरअसल लगभग दो माह पूर्व कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा ने मिलकर ननि अध्यक्ष देवेश पांडेय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया था. उस वक्त विपक्ष खुद को मजबूत स्थिति में बता रहा था और सत्ता परिवर्तन के दावे किए जा रहे थे. लेकिन राजनीति में कब कौन पलटी मार जाए, यह सिंगरौली की राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया. अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के तीन और कांग्रेस के छ: पार्षदों ने कलेक्टर के समक्ष शपथ पत्र देकर प्रस्ताव से नाम वापस ले लिया.

इस कदम के बाद विपक्षी एकता ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. नतीजा यह हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी कवायद ही मजाक बनकर रह गई. अब सवाल सिर्फ प्रस्ताव का नहीं, बल्कि कांग्रेस संगठन की पकड़ और नेतृत्व की क्षमता पर खड़े हो रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में तीखी चर्चा है कि जब शहर अध्यक्ष आधा दर्जन पार्षदों को नहीं संभाल पाए, तो करीब दो लाख की आबादी वाले शहर में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैसे संभालेंगे. यही वजह है कि पार्टी की अंदरूनी कमजोरी अब खुलेआम लोगों के निशाने पर है. वहीं आज इसी पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी की शहर स्तरीय बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई. बैठक में नगर निगम के घेरने की रणनीति पर चर्चा की गई, लेकिन अंदरखाने पलटी मारने वाले पार्षदों को लेकर हल्की-फुल्की नाराजगी और तंज भी सुनने को मिले. हालांकि कोई ठोस कार्रवाई या सख्त निर्णय सामने नहीं आया, जिससे यह संदेश और गहरा हो गया कि संगठन अभी भी असमंजस में है. बता दें यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस को पार्षदों की इधर-उधर का सामना करना पड़ा हो. इससे पहले भी दो कांग्रेस पार्षद पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर मेयर इन-काउंसिल के सदस्य बन चुके हैं.

पुलिस पर हमला करने वालों पर केस दर्ज

- चांचौड़ा: पेंची गांव में दो गिरफ्तार
- कलेक्टर ने घायलों से की मुलाकात

गुना, 6 जनवरी. चांचौड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पेंची में सोमवार को पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. पुलिस ने इस हिंसा में शामिल 28 उपद्रवियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है.

वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए अब तक दो आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है. पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में आरोपियों पर हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि वर्दी पर हाथ उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. मंगलवार को गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और एसपी अंकित सोनी जिला अस्पताल पहुंचे. वहां उन्होंने हमले में घायल एएसआई और प्रधान आरक्षक से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली.

कलेक्टर ने बताया कि दोनों घायल पुलिसकर्मियों की स्थिति अब पहले से बेहतर है और उन्हें उचित उपचार दिया जा रहा है. एसपी अंकित सोनी ने सोमवार शाम को ही घायलों से मुलाकात की थी और पुलिस टीम को आरोपियों की जल्द धरपकड़ के निर्देश दिए हैं. अस्पताल में मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने पेंची की घटना पर दुख जताया. उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेना और हिंसा करना गलत है.

जनता को अचानक आक्रामक होने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए. जिन लोगों ने जवानों पर हमला किया है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. घायल पुलिसकर्मियों का हाल जानने के साथ ही कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों से भी संवाद किया. इस दौरान अस्पताल परिसर में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का मुद्दा भी सामने आया. कलेक्टर ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए प्रबंधन को अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था तत्काल पुख्ता करने और सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए हैं.

मीटर में बिजली चोरी पकड़ी तो जेई को पीटा

पुराना मीटर छीनकर घर में छुपा दिया

शिवपुरी, 6 जनवरी. शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत इमामबाड़ा इलाके में बिजली चोरी रोकने गई विद्युत विभाग की टीम पर हमले का मामला सामने आया है.

मीटर रीडिंग कम होने पर जब अधिकारियों ने मीटर बदला और पुराना मीटर जब्त करना चाहा, तो दो भाइयों ने सहायक यंत्री के साथ मारपीट कर दी. आरोपियों ने न केवल सरकारी काम में बाधा डाली, बल्कि पुराना मीटर भी छीनकर घर में छुपा लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार शहर के पश्चिमी जोन के सहायक यंत्री मनमोहन सिंह पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अपने साथी स्टाफ डीई श्रवण कुमार पटेल, आउटसोर्स कपिल सेन, राहुल लक्षकार, राजेंद्र प्रजापति के साथ इमामबाड़ा पहुंचे थे.

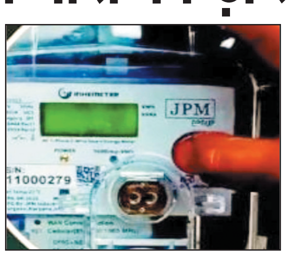

यह है मामला

इमामबाड़ा में स्वर्गीय राशिद खान के कनेक्शन 2628009721 को चेक किया. घर से मोहसिन खान के सामने चेकिंग की कार्रवाई चल रही थी. मीटर रीडिंग कम होने से मीटर की जांच के लिए हमने मीटर उतार लिया और दूसरा नया मीटर लगा दिया. कार्रवाई के दस्तावेज तैयार कर लिए थे. मोहसिन से हस्ताक्षर करने को कहा तो उसने हस्ताक्षर नहीं किए. तभी वहां मोहसिन का बड़ा भाई अमजद खान आया और शासकीय कार्रवाई का विरोध किया एवं मारपीट की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है.

आर्यमन पहुंचे अपोलो अस्पताल, चेकअप के बाद दिल्ली रवाना

ग्वालियर. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र और एमपीसीए के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया अपोलो अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए पहुंचे. जांच के बाद वे दिल्ली रवाना हो गए. उन्हें एक दिन पहले शिवपुरी में रोड शो के दौरान सीने में चोट लगी थी. यह घटना शिवपुरी जिले के कोलारस में हुई, जहां महानआर्यमन क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल होने गए थे. इसके समापन के बाद वे जनता का अभिवादन करने के लिए कार के सनरूफ पर खड़े थे. इसी दौरान अचानक कार के ब्रेक लगने से उनकी छाती सनरूफ से टकरा गई, जिससे उन्हें चोट आई.

मंत्री निवास घेरने जा रहे कांग्रेसियों को किया गिरफ्तार

- काले गुब्बारें, तख्तियां और घंटा लेकर किया प्रदर्शन

नवभारत न्यूज

रतलाम. दूषित जल को लेकर मंगलवार को कांग्रेस ने सरकार को घेरा. सभी शहर में एकत्रित हुए काले गुब्बारें, तख्तियां, घंटा लेकर प्रदर्शन किया और जुलूस के रूप में मंत्री निवास के लिए जा रहे थे. रास्तें में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया.

इंदौर में दूषित जल से मरने वाले लोगों और रतलाम में भी दूषित जल वितरण को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को घंटा बजाओ आंदोलन किया. कांग्रेस नेताओ ने शहीद चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया. यहां से जुलुस बना कर केबिनेट मंत्री के घर ज्ञापन देने के लिए निकले. कांग्रेस नेता पैदल मार्च कर लोकेन्द्र टाकीज चौराहे पहुंचे,लेकिन वह भारी पुलिस बल तैनात था. पुलिस ने प्रदर्शनकारी नेताओ का रास्ता रोका और उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस वाहन में बैठा लिया.

कांग्रेस नेताओ के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था. पुलिस द्वारा भारी बल लगाकर पहले से ही लोकेन्द्र टॉकीज और दिल बहार चौराहे पर बेरिकेट्स लगाकर रास्ता रोका गया था. सुरक्षा को देखते हुए पुलिस अधिकारी एडिशनल एसपी राकेश खाखा, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया, शहर के सभी थाना प्रभारी, शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर सहित सीआईडी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

तीन दिवसीय तिल चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ

इंदौर. श्री खजराना गणेश मंदिर में आयोजित तीन दिवसीय तिल चतुर्थी महोत्सव का शुभारंभ मंगलवार को विधिवत रूप से हुआ. कलेक्टर शिवम वर्मा व निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने ध्वजारोहण और आरती कर महोत्सव की शुरुआत की.

नर्सिंग कॉलेज भर्ती में शामिल किए जाएंगे पुरूष

मप्र कर्मचारी चयन मंडल ने हाईकोर्ट में पेश की मौखिक जानकारी

जबलपुर, 6 जनवरी. मप्र हाईकोर्ट में प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर व अन्य पदों पर महिलाओं को सौ प्रतिशत आरक्षण दिये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.

याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पुरुष उम्मीदवारों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, परंतु लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुए है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी है. जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने शासन के निर्णय का लिखित आदेश पेश करने के निर्देश जारी करते हुए याचिका पर 7 जनवरी सुनवाई निर्धारित की गयी है.

जबलपुर निवासी नौशाद अली की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ग्रुप-1 सब ग्रुप-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन में असिस्टेंट प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर सहित ट्यूटर के कुल 286 पदों पर महिला उम्मीदवारों को सौ प्रतिशत आरक्षण दिया गया है.

प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर के पद भरे जाने हैं. इनमें पुरुष उम्मीदवारों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया है. इसमें भर्ती नियम व इंडियन नेशनल काउंसिल के सभी मापदंड का उल्लंघन किया है. दलील दी कि लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग के द्वारा की जा रही भर्ती में संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 तथा भर्ती के नियमों की अनदेखी की जा रही है. सरकार की ये भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी मामले के 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का उल्लंघन भी है.

एक नजर में

सिवनी मार्ग से हटाया गया अतिक्रमण

छिंदवाड़ा, 6 जनवरी. शहर को साफ स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है. आज भी नगर निगम अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की. प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में छोटा तालाब क्षेत्र में पवार होटल के पास से पुलिस लाइन गेट तक सड़क के दोनों ओर लगाए गए पाल, पर्दे, तिरपाल, चबूतरे एवं गुमटियों को हटाकर फटका मशीन में रखवाया गया. इस कार्रवाई के माध्यम से मार्ग को अतिक्रमण मुक्त किया गया. इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन गेट से फव्वारा चौक तक पूर्व में हटाए गए अतिक्रमण का निरीक्षण भी किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोबारा अतिक्रमण न हो. नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर को सुव्यवस्थित एवं यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.

मोरवा के बायोफ्यूल प्लांट में भीषण आग

सिंगरौली 6 जनवरी. मोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पड़ताली स्थित बायोफ्यूल प्लांट में आज दिन मंगलवार दोपहर अचानक आग भड़क उठी. आग की शुरुआत प्लांट परिसर में खुले में पड़े पुआल से हुई, जिसने देखते ही देखते पास स्थित प्लांट को भी अपनी चपेट में ले लिया. जानकारी के अनुसार मोरवा निवासी सुरेंद्र जैन द्वारा संचालित आरएजे बायो फ्यूल प्लांट में पुआल, धान के भूसे सहित अन्य सामग्री से बायोफ्यूल तैयार कर एनटीपीसी को सप्लाई किया जाता है. दोपहर करीब 2 बजे आग लगते ही प्लांट में कार्यरत कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी. स्थिति बिगड़ते देख तत्काल मोरवा थाना और दमकल विभाग को सूचना दी गई. मौके पर मोरवा नगर निगम की दमकल गाड़ियाँ व मोरवा पुलिस पहुंची. आग की गंभीरता को देखते हुए एनसीएल झिंगुरदह तथा सीडब्ल्यूएस जयंत से भी दमकल वाहनों को बुलाया गया. आग बुझाने के लिए प्लांट के टीनशेड को काटकर भीतर तक पानी डाला गया. देर शाम तक करीब छः दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास जारी था. हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन प्लांट में रखे कच्चे माल के भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

हाईकोर्ट में खराब बर्ताव पर एसआई और प्रधान आरक्षक निलंबित

नेम प्लेट के बारे में पूछा तो जैकेट की चेन खोल दी

मोबाइल देखकर बताने लगे थे रोजनामचा

ग्वालियर, 6 जनवरी. हाईकोर्ट में लापरवाही बरतने पर सब इंस्पेक्टर देशराज सिंह और प्रधान आरक्षक श्रीराम शर्मा को निलंबित कर दिया है.

कोर्ट ने उनके आचरण पर नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह को तलब किया था. एसपी ने कोर्ट को यह जानकारी दी है. दरअसल, युगल पीठ में सुनवाई के दौरान जब एसआई देशराज सिंह से उनकी नेम प्लेट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जैकेट की चेन खोलकर दिखाई. वहीं, प्रधान आरक्षक श्रीराम शर्मा से रोजनामचा के बारे में जानकारी मांगने पर उन्होंने जेब से मोबाइल फोन निकालना शुरू कर दिया.

पुलिसकर्मियों के इस आचरण पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह को तलब किया था. कोर्ट में उपस्थित हुए एसपी ने बताया कि नेम प्लेट जैकेट के बाहर होनी चाहिए. उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों के मिसकंडक्ट के लिए विभागीय जांच की जानकारी न्यायालय में पेश की, जिसके बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया. यह मामला एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा है. एक पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को मोटा धानुक अपने साथ ले गया है.

54 शिकायतों पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश

इंदौर. आमजन की समस्याओं के तुरंत समाधान के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे. पुलिस कमिश्नर ने खुद प्रत्येक फरियादी से रूबरू होकर उसकी बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए. कमिश्नर कार्यालय के सभागार में जनसुनवाई के दौरान 54 आवेदन प्राप्त हुए. इनमें पारिवारिक विवाद, आपसी झगड़े, पैसों के लेनदेन, फाइनेंशियल फ्रॉड, पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने की शिकायतें, प्लॉट और जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी, महिला अपराध सहित अन्य पुलिस संबंधी मामले प्रमुख रहे.

सत्यम ज्वैलर्स के ताले खुले, 100 करोड़ रुपए फंसे होने का आरोप

- व्यापारी की मौत के बाद से बंद थी दुकान

नीमच, 6 जनवरी. दिवंगत सर्राफा व्यापारी बहादुर सोनी से जुड़े करोड़ों की देनदारी के विवाद में मंगलवार को नया मोड़ आया. पुलिस ने सत्यम ज्वैलर्स की दुकान की सील खोली, जो बहादुर सोनी के निधन के बाद से बंद थी.

यह कार्रवाई करोड़ों रुपए के निवेश और गहनों की अमानत से संबंधित विवाद की जांच के तहत की गई. दुकान को पहली बार बहादुर सोनी की पत्नी और पुत्री की मौजूदगी में खोला गया. कैंट पुलिस ने दुकान के भीतर रखे दस्तावेजों और स्टॉक की बारीकी से जांच शुरू की है. दुकान खुलने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पीड़ित ग्राहक और निवेशक मौके पर जमा हो गए. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया. दुकान के बाहर जमा निवेशकों का आक्रोश तब बढ़ गया जब पुलिस ने केवल परिवार के सदस्यों को अंदर जाने की अनुमति दी. पीड़ितों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जिससे उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की आशंका है.

शहर में बेलगाम ई-रिक्सा बने सिरदर्द

रीवा, 6 जनवरी. शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, ऐसा कोई मार्ग नही जहा जाम न लगता हो. सडक़ पटरी तक एक ओर अस्थाई अतिक्रमण तो दूसरी तरफ सडक़ और चौराहे पर आड़े तिरछे खड़े हो रहे ई-रिक्सा जाम का सबसे बड़ा कारण बन चुके है. आम राहगीर के साथ यातायात पुलिस के लिये भी ई-रिक्सा सिरदर्द बन चुके है. गौरतलब है कि शहर की सडक़े भले ही चौड़ी हुई है, फ्लाई ओवर बने लेकिन जाम से निजात नही मिल पा रही है, यातायात व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है. शहर का सबसे व्यस्त रहने वाला व्यंकट मार्ग, अमहिया मार्ग, अस्पताल मार्ग, विश्वविद्यालय मार्ग में ई-रिक्सा की संख्या सबसे ज्यादा है.

एक्साइज एक्ट में नहीं दे सकते अग्रिम जमानत

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक मिश्रा ने एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट की धारा 59-ए के तहत अग्रिम जमानत देने पर खास रोक है. एकलपीठ ने अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करते हुए अपीलकर्ता को निर्देशित किया है कि वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए रेगुलर जमानत के लिए आवेदन करें. भोपाल निवासी मोनू वर्मा की तरफ से रायसेन जिले के सलामतपुर थाने में एक्साइज एक्ट की धारा 34(2) के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. अपील में कहा गया था कि पुलिस ने वाहन क्रमांक एमपी 04 वाईपी 5603 से अलग-अलग ब्रांड की 1058.4 बल्क लीटर शराब जब्त की थी. गाडी मालिक के बयान दर्ज करने के बाद अपीलकर्ता को आरोपी बनाया यगा था. इसके बाद, गाड़ी के मालिक का बयान दर्ज किया गया. इसके अनुसार, जांच शुरू की गई और आवेदक के खिलाफ उपरोक्त अपराध दर्ज किया गया है. उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे झूठा फंसाया गया है. सह आरोपी के बयान के आधार पर उसे प्रकरण में आरोपी बनाया गया है. प्रकरण में सह आरोपी को रेगुलर जमानत का लाभ मिल गया है. शासन की तरफ से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए बताया गया कि रिकॉर्ड के अनुसार शराब परिवहन का लाइसेंस भानपुर और सूखी सेवनिया के लिए जारी किया गया था. ड्राइवर और अपीलकर्ता शराब को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए रास्ता बदल दिया. रास्ता बदलने का कारण भी नहीं बताया गया था.

आयोजन एक हजार आकाशदीप आकाश में छोड़े गए तथा आकर्षक आतिशबाजी की

सीतामऊ साहित्य महोत्सव का भव्य शुभारंभ

मंदसौर, 6 जनवरी. छोटी काशी के नाम से विख्यात ऐतिहासिक नगर सीतामऊ में 29 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सीतामऊ साहित्य महोत्सव के द्वितीय संस्करण का विधिवत एवं भव्य आगाज सोमवार को लदूना तालाब स्थित सेवाकुंज परिसर से किया गया.

शुभारंभ अवसर पर एक हजार आकाशदीप आकाश में छोड़े गए तथा आकर्षक आतिशबाजी की गई, जिससे पूरा सेवाकुंज परिसर जगमगा उठा और उत्सवमय वातावरण बन गया. आगाज कार्यक्रम के माध्यम से साहित्य, संस्कृति और सामूहिक सहभागिता का सशक्त संदेश दिया गया. आगामी 29, 30 एवं 31 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य साहित्य महोत्सव में देश की जानी-मानी साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला एवं दर्शन क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियां सहभागिता करेंगी. तीन दिवसीय आयोजन के दौरान प्रतिदिन विभिन्न विधाओं से जुड़े ज्ञानवर्धक, विचारोत्तेजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

कार्यक्रम में कलेक्टर अदिती गर्ग, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार, विधायक हरदीप सिंह डंग, एसडीएम शिवानी गर्ग सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला व विकासखंड स्तरीय अधिकारी, बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, विद्यार्थी एवं आम नागरिक उपस्थित रहे. सीतामऊ साहित्य महोत्सव के माध्यम से क्षेत्रवासियों को नगर की ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक समृद्ध विरासत से पुनः परिचित कराया जाएगा.

फेक वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की

- भाजपा नेत्री ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत

जबलपुर, 6 जनवरी. भाजपा नेत्री का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वे खुद तीन-तीन हत्या करने का दावा करती नजर आ रही है.

वीडियो में कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी लेने की चर्चा रही हालांकि इस वीडियो को अब खुद भाजपा नेत्री ने फर्जी बताते हुए साजिश का आरोप लगाया है. साथ ही मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक से की है और फर्जी वीडियो वायरल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है. शिकायतकर्ता श्रीमती शिखा शर्मा पति के. के. शर्मा निवासी मदन महल ने बताया कि वे कुबेर कैफे कछपुरा ब्रिज के पास, यादव कॉलोनी चौकी के नीचे स्थित कुबेर कैफे का संचालन करती है. दुकान मालिक रवि पटेल द्वारा कुबेर कैफे में अभद्रता की थी. किराए की दुकान खाली कराने का दबाव बनाया. साथ ही रवि पटेल व अन्य के द्वारा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जो फर्जी है.